ale.

### बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक.

आनंद किशोर, सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में.

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-21-11-1*9* 

विषय:--

केन्द्र प्रायोजित योजना की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों से किए जाने के संबंध में।

प्रसंग:--

वित्त विभाग के पत्रांक सं0-8783 दिनांक-31.10.19

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक सं0–8783 दिनांक–31.10.19 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों में खाता खोलकर किया जाना है।

2. अतः निदेश दिया जाता है कि सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का बैंक खाता सरकारी बैंकों में ही संधारित किया जाय। निदेश का अनुपालन पाँच दिनों के अंदर करते हुए विहित प्रपन्न में प्रमाण पन्न (प्रति संलग्न) विभाग को मेजा जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभागीन,

(आनंद किशार),

सरकार के सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

# कार्यालय का नाम

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वित्त विभाग के पत्रांक-8705 दिनांक-31.10.19 के अनुपालन में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बैंक खाता का संधारण सरकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

नगर निकाय का नामः– दिनांकः–

नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

## पत्र सं०-एम-4-01/2018. 8783 वि०

#### बिहार सरकार वित्त विभाग


प्रेषक.

राहुल सिंह, सचिव(व्यय) ।

. AA

सेवा में.

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी,



विषय :- केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की राशि का संव्यवहार सरकारी बैंकों के माध्यम से किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग :- महालेखानियंत्रक, व्यय विभाग, बिल मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन-11012//3(1)/Bank/Ref. Case/2010/GBA/1351-1454 दिनांक 21.08.2019

महाशय.

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में महालेखानियंत्रक, भारत सरकार, व्यय विभाग विना मंत्रान्य के उक्त कार्यानय ज्ञापन द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को केन्द्रीय क्षेत्र स्वीम के विभाग कियान्ययन एजेसी द्वारा योजनाओं के क्रियान्ययन हेतु सरकार से प्राप्त राशि के अनुभृत्वित व्यवसायिक वैंकों (निजी क्षेत्र के वैंक) में रखे जाने से बड़ी सरकारी राशि निजी वैंक खातों में पड़ी रहने एवं इससे संबंधित उपयोगिता का सामंजन भी लंबित रहने का उन्तेख करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की राशि का संधारण निजी क्षेत्र के वैंकों के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के वैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण वैंकों के पाध्यम से किये जाने का अनुरोध किया गया है । इसके निए संबंधित स्कीमों को मागंवर्शिका में आवश्यकतानुसार संबोधन किये जाने का भी अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप बैक खाता के संधारण हेतु पूर्व में भी वित्त विभागीय दिशा-निर्देश दिया जाता रहा है, जिसका अनुपालन किया जाना संबंधित प्रशासी विभाग की एवं उनके अधीनस्थ कार्याहायों की जबावदेही भी है। अतः महालेखानियंत्रक, व्यय विभाग, बित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से संबंधित राशि के बैंक में संधारण करने में उक्त विणित विशा-निर्देश का अनुपालन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।

तद्भनुसार, पूर्व में इस संबंध में निर्गत वित्त विभागीय दिशा-निर्देश की इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अनुलग्नक-यथाक्त ।

विश्वासभाजन (राहुल सिक्र) सांवद (व्यय)